

केंद्रीय सूचना आयोग
२, तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- ११००६६

No.3/2/2017/Admin./CIC/ST/00914/1

Dated: 18.08.2017

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में २७.७.२०१७ को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

४	इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/2/2017/Admin./CIC/ST/00914/1 दिनांक 14.8.2017 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके द्वारा संलग्न है।
---	--

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।

सविता 18/8/17
(सविता तलूजा)

अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL



केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066

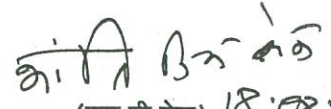
सं. 3/8/2015-के.सू.आ./प्र0

दिनांक. 18.08.2017

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री मनिकेश चतुर्वेदी के आर.टी.आई. आवेदन
सं. CICOM/R/2017/00914/1 दिनांक 27.07.2017 से संबंधित सूचना ।

आपके पत्र सं. 3/2/2017/प्रशासन/के.सू.आ./00914/1 दिनांक 14.08.2017 के संदर्भ में बिंदु सं. 4 के
संबंध में वांछित सूचना निम्नानुसार है :-

नहीं, "ऐसा कोई भी निरीक्षण नहीं हुआ है" ।


(एस.पी.बेक) 18.08.17

संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
नोडल अधिकारी, आर.टी.आई.

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी, (प्रशासन), केन्द्रीय सूचना आयोग ।